भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4066
उत्तर देने की तारीख : 12.12.2019

ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कल्याण योजना

4066. श्री गौतम सिगामणि पोनः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा लागू की जा रही चालू अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों, आबंटित और व्यय की गई निधि का तमिलनाडु सहित राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः (6) अल्पसंख्यक समुदायों यथा बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिक्ख और पारसी समुदायों के कल्याण के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर में निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा हैः

(1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजनाः कक्षा I से X तक के लिए।

(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः कक्षा XI से पीएच.डी. तक के लिए।

(3) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाः व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए।

(4) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तिः एम.फिल एवं पीएच.डी. करने के लिए।

(5) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना (नया सवेरा): व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।

(6) ''पढ़ो परदेश'': विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।

(7) नई उड़ानः संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सहायता।

(8) हमारी धरोहरः भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।

(9) जियो पारसीः लघु अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने की योजना।

(10) नई रोशनीः अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास।

(11) कौशल विकास पहल – सीखो और कमाओ।

(12) नई मंजिलः स्कूल ड्रॉपआउट्स की औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजना।

(13) उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)।

(14) शिक्षा और कौशल संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) को सहायता अनुदान।

(क) मेधावी अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
(ख) अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को अल्पकालिक रोजगार उन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण।
(ग) नई मंजिल योजना के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा मदरसा छात्रों और स्कूल ड्रॉपआउट के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम (एमएईएफ के माध्यम से कार्यान्वित)।
(घ) स्वच्छ विद्यालय पहल।

(15) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को स्व–रोजगार और आय–सृजक उद्यमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी।

(16) उपर्युक्त के अलावा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) नामक एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसे पूर्व में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के रूप में जाना जाता था, अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालयों, अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों, अल्पसंख्यक बहुल नगरों तथा निकटस्थ गांवों के समूहों में कार्यान्वित किया जाता है जो अपेक्षाकृत पिछड़े हैं।

क्रम सं. (1) से (13) और (16) पर उल्लिखित चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट **(www.minorityaffairs.gov.in)** पर और क्रम सं. (14) पर उल्लिखित योजना के संबंध में ब्यौरा एमएईएफ की वेबसाइट **(www.maef.nic.in)** पर तथा क्रम सं. (15) की योजना के संबंध में ब्यौरा एनएमडीएफसी की वेबसाइट **(www.nmdfc.org)** पर उपलब्ध हैं।

(ख) मंत्रालय की विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा प्रचार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश में आयोजित करने के लिए 2018–19 के दौरान कुल 444 कार्यशालाओं/सेमिनारों/कॉन्फ्रेंसों को मंजूरी दी गई है।

(ग) सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एफएम चैनलों सहित आकाशवाणी और वेबसाइटों के माध्यम से देशभर में मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर लघु पुस्तिकाएं और पैम्फलेट हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए हैं। सीधे जनता विशेष रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुंचने और उनके बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर 'प्रोग्रेस पंचायतें' आयोजित की जाती हैं। राज्य सरकारों के साथ समय–समय पर क्षेत्रीय समन्वय एवं समीक्षा सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालय की योजनाओं के बारे में सूचना दी जाती है। इसके अलावा, 'हुनर हाट' आयोजित करते हुए बाह्य प्रचार भी किया जा रहा है। पारंपरिक शिल्पों/कलाओं को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अल्पसंख्यक कारीगरों के बाजार लिंकेज सुदृढ़ करने के लिए हुनर हाट (i) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), नई दिल्ली, 2016, 2017, 2018 और 2019 में, (ii) बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली, फरवरी 2017, फरवरी 2018 और जनवरी 2019 में, (iii) पुदुचेरि, सितम्बर 2017 और अक्तूबर 2018 में, (iv) मुम्बई, जनवरी 2018 और दिसम्बर 2018 में, (v) प्रयागराज, सितम्बर 2018 और नवम्बर 2019 में, (vi) जयपुर, अगस्त–सितम्बर 2019 में और अहमदाबाद, दिसंबर, 2019 में आयोजित किए गए हैं। यह मंत्रालय देश के विभिन्न स्थानों पर अपने कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए एनजीओ तथा राज्य संगठनों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं एवं सेमिनारों को भी सहायता देता है।

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों, आबंटित एवं व्यय की गई निधियों का तमिलनाडु सहित राज्य–वार ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

******